

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 483

रीवा दिनांक : 6-8-2021

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
एम.आई.टी. कालेज
मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय — अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसंबर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 28-07-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है —

क्र.	कक्षा / विषय
1	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध-60सीट।
2	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन (मात्र प्रथम वर्ष)-120-120सीट।

नोट —

- कालेज कोड 26 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधीक्षिताधारकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव 5.8.21
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- ✓ 1/ उप कुलसचिव — परीक्षा, गोपनीय।
विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा वी ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- 3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- 4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
5/8/21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ५८५

रीवा दिनांक : ६-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

एकलब्य कालेज,

सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण रात्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 27-07-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, बायोटेक्नालाजी, (अतिरिक्त विषय) भौतिक, जुलाजी, गणित, माइक्रोबायलाजी, कम्प्यूटर साइंस-200सीट।
2	बी.काम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, मैनेजमेन्ट, एकाउन्टिंग, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अतिरिक्त विषय) इकमटैक्स, अर्थशास्त्र, इश्युरेन्स प्रेविट्स एण्ड मैनेजमेन्ट-200सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, समाजशास्त्र, हिन्दी लाहित्य, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अतिरिक्त विषय) राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, होमसाइंस-200सीट।
4	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में संचालित पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में वृद्धि करें।
- लैब के उपकरणों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतियेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जायेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव ५१८५

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
५१८५

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 485

रीवा दिनांक : 6-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
सतना डिग्री कालेज
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 28-07-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं अर्थशास्त्र (अतिरिक्त विषय)–75+75=150सीट।
2	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय–75सीट।
3	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष–75सीट।
4	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन–75+75=150सीट।
5	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर–75+75=150सीट।
6	एम.एस.डब्लू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध–75सीट।
7	पी.जी.डी.सी.ए.–75सीट।
8	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष–75सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

 कुलसचिव ५८१२।

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५८६

रीवा दिनांक : ६-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

आर्या इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी (AIT)
गोपदबनास, सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा नाननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 28-07-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-100-100सीट।
2	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-100-100सीट।
3	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-100सीट।
4	पी.जी.डी.सी.ए.-100सीट।
5	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र-80सीट।
6	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-80सीट।
7	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायोटेक्नालोजी-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों में वृद्धि करें।
- साइन्स एवं कम्प्यूटर लैब में उपकरणों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का काष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसमिति ५१८/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एस्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ११८८

रीवा दिनांक : १०-८-२०२१

प्रति:

अध्यक्ष / प्राचार्य
ज्ञान विहार कालेज, मैहर
ज़िला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में दिया परिषद की रूपाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्ष (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम)–60सीट।
2	बी.काम. प्रथम वर्ष मैनेजमेन्ट–100सीट।
3	बी.ए. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्योजी, भूगोल, सोशियोलाजी–120सीट।
4	बी.काम. प्रथम वर्ष कामर्स विथ सी.ए. टैक्सोशन–120सीट।
5	बी.एस.डब्ल्यू प्रथम वर्ष–120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में 1000 नवीन पुस्तकें क्रय करें।
- बी.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्ष में बी.सी.आई. के अनुमति के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाय।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताकरकर्ता को मेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- ✓ 1. उप कुलग थेव – परीक्षा, गोपनीय।
 2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वैक्साइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
 3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
 4. कुलपति जी के संधिव / कुलसचिव के निज सहायक।

संडायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / १८८

रीवा दिनांक : १५-७-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

अटल बिहारी डिग्री कालेज

गाम पड़ेनिया, जिला सिंगरांगी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 02-08-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-120सीट।
2	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, लेखांकन-120सीट।
3	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष वनस्पतिशास्त्र, बायोटेक, रसायनशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) भूगर्भशास्त्र-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में और पुस्तकों की व्यवस्था करें।
- प्रयोगशालाओं के उपकरण क्रय करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एलीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५३८

रीवा दिनांक : १०-८-२०७

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
रायगढ़ी नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय,
मैहर, जिला सतना

विषय – अस्थायी सम्बद्धता रात्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23–07–2021 के आइटम क्रमांक 10 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. तृतीय वर्ष कम्प्यूटर, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र-120सीट।
2.	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र-100सीट।
3.	बी.का.म. तृतीय वर्ष कामर्स विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन-100सीट।
4.	बी.बी.ए. तृतीय वर्ष प्लेन-100सीट।
5.	बी.सी.ए. तृतीय वर्ष प्लेन-100सीट।

नोट –

- विज्ञान के लिए लैब एवं पुस्तकालय को समृद्ध करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एन.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/45।

रीवा दिनांक : ११-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

श्री मुकुन्द इस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी
बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण रात्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 05-08-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, इतिहास, कम्प्यूटर-120सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, जुलाजी, रसायनशास्त्र-120सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।
4	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-80सीट।
5	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
6	बी.एस.डब्लू. प्रथम वर्ष-50सीट।

नोट –


- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की पुस्तक में वृद्धि करें।
- कम्प्यूटर लैब को उन्नत करें।
- साइंस लैब में उपकरणों की वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव 10.8.21


प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एस्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 452
प्रति,

रीवा दिनांक : 11-८-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
स्कालर्स होम कालेज, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभरन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./गृ.ए-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, सच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-६-२०२० एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-६-२०२० के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक ७ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 05-08-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120सीट।
2	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी (अतिरिक्त विषय), अंग्रेजी, कम्प्यूटर-180सीट प्रतिसमूह।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त। (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट प्रतिसमूह।
4	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-160सीट।
5	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-180सीट।
6	बी.एच.एसरी. प्रथम, द्वितीय वर्ष-60सीट।
7	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय), बाटनी, जुलाजी, माइक्रोबायलजी, बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर-120-120सीट प्रति समूह।
8	पी.जी.डी.सी.ए.-320सीट।
9	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-180सीट।
10	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध कम्प्यूटर-100सीट।
11	बी.एस.डब्ल्यू. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120सीट।
12	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध अंग्रेजी-100सीट।
13	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र-80सीट।
14	एम.एसरी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर साइंस, रसायनशास्त्र, गणित-100-100सीट प्रत्येक विषय में।
15	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध एकाउन्ट-100सीट।
16	बी.ए.एलएल.बी. आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष-60×2सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में रामबन्धित पाठ्यक्रमों की पुस्तक में वृद्धि करें।
- कम्प्यूटर लैब को उन्नत करें एवं साइंस लैब में उपकरणों की वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलपति जी
10.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५७५

रीवा दिनांक : १२-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
जानकी बल्लभ डिग्री कालेज
रामपुर बाघेलान, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।


विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र-120-120सीट।
2	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिकशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर-120-120सीट।

नोट –


- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करे।
- पुस्तकालय को सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों में वृद्धि करे।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का काट करे अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव 10.8.21


प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५७
प्रति.

रीवा दिनांक : १३-८-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
महात्मा गांधी कालेज
विराट नगर, सताना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22-06-2021 के आइटम क्रमांक 2 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध बायोटेक्नालॉजी-35सीट।
2.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध कमेस्ट्री-35सीट।
3.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध गणित-70सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में संबंधित विषयों / कक्षाओं के पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
- बायोकमेस्ट्री एवं कमेस्ट्री में प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जायेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव १२.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सलपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)
१२.०८.२०२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 458

रीवा, दिनांक : 13-८-२०२१


अधिसूचना

अनेकों पत्र, स्मरणपत्र, कारण बताओ नोटिस दिये जाने के बाबजूद सत्र 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क की राशि मय जी.एस.टी. सहित रुपये 4,44,300/- (रुपये चार लाख चौरालीस हजार तीन सौ) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी जाने के कारण प्रकरण विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-09 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, अशासकीय श्री रामहर्षण देवाचार्य महाविद्यालय, खजुहा कला, जिला रीवा की बी.सी.ए., बी.एस.सी., बी.ए., बी.काम. प्रथम वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021–2022 से समाप्त की जाती है।


कुलसचिव 12-8-21


प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष / प्राचार्य, अशासकीय श्री रामहर्षण देवाचार्य महाविद्यालय, खजुहा कला, जिला रीवा।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेब साइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवरखदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 501

रीवा, दिनांक | १७ - ३ - २०२१

प्रति,

आध्यक्ष

शासी निकाय

सतना डिग्री कालेज, सतना (म.प्र.)

विषय :- महाविद्यालय में संचालित MSW एवं PGDCA पाठ्यक्रमों में सीट सख्ती में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सीट वृद्धि हेतु गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा, विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 12 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, सतना डिग्री कालेज, सतना में निम्नान्वित अनुसार अनुशरित सीटों को सत्र 2021-2022 के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम	अनुशंसित सीट
1	MSW	150
2	PGDCA	120

शर्त—

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत वाचित पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- वाचित पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर यथाशीघ्र कर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

- प्राचार्य, सतना डिग्री कालेज, सतना (म.प्र.)
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
- उप कुलसचिव — परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव — गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबराइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 502

रीवा, दिनांक : 17-8-2021

अधिसूचना

प्राचार्य, श्री साई महाविद्यालय, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरीली के पत्र क्रमांक / SSMV/Exam/Q/2021 दिनांक 21-6-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रथाई संगीति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-10 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार श्री साई महाविद्यालय, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरीली की बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।

6.8.21
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष / प्राचार्य, श्री साई महाविद्यालय, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरीली।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त रांचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भारकर, नवभारत, नवरचदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का काष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

श्री

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 503

रीवा, दिनांक : १७-८-२०२१

अधिसूचना

अनेकों पत्र, स्मरणपत्र, कारण बताओ नोटिस दिये जाने के बाबजूद सत्र 2018-19, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क की राशि मय जी.एस.टी. सहित रूपये 3.72.900/- (रुपये तीन लाख बहतर हजार नौ सौ) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी जाने के कारण प्रकरण विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-06 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, अशासकीय श्री साईराम महाविद्यालय, ऐंठी, गोपद-बनास, जिला रीधी की बी.बी.ए., बी.ए. प्रथम वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।



कुलसचिव

५

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, अशासकीय श्री साईराम महाविद्यालय, ऐंठी, गोपद-बनास, जिला रीधी।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भारकर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

५

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 504

रीवा, दिनांक : १७-८-२०२१

अधिसूचना

अनेकों पत्र, रमणपत्र, कारण बताओ नोटिस दिये जाने के लावजूद सत्र 2016–2017, 2018–19, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क की राशि मध्य जी.एस.टी. सहित रूपये 6,27,000/- (रुपये छ: लाख सत्ताइस हजार) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी जाने के कारण प्रकरण विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-05 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, अशासकीय पं. रामगोपाल तिवारी महाविद्यालय, सोहागपुर, जिला शहडोल की बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021–2022 से समाप्त की जाती है।

कुलसंचिव ११.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, अशासकीय पं. रामगोपाल तिवारी महाविद्यालय, सोहागपुर, जिला शहडोल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसंचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसंचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भारकर, नवभारत, नवरवदेश, विन्द्य भारत की ओर भेजकर नियेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसंचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसंचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 505

रोटा, दिनांक : १८-८-२०२१

अधिसूचना

अनेकों पत्र, स्मरणपत्र, कारण बताओ नोटिस दिये जाने के बाबजूद सत्र 2018-19, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आदेदन/सम्बद्धता शुल्क की राशि मय जी.एस.टी. सहित रुपये 3,75,400/- (रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार चार सौ) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी जाने के कारण प्रकरण विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-07 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार अशासकीय नवोदय महाविद्यालय, चुरहट, जिला सीधी की बी.एससी, बी.काम, आनस प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।

कुलसचिव
१८.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष / प्राचार्य, अशासकीय नवोदय महाविद्यालय, चुरहट, जिला सीधी।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेब साइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भारकर, नवभारत, नवरवदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/510

रीवा दिनांक : १३-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

डिजिटल कालेज आफ एजूकेशन
कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(7) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.ए. तृतीय वर्ष अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव १३.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. ऑनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५१६

रीवा दिनांक : २३-७-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

महारानी लक्ष्मीबाई कालेज आफ टेक्नालोजी,
रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(6) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	वी.एससी. तृतीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) बाटनी, जुलाजी-120-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- बाटनी एवं जुलाजी की प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
- पुस्तकालय में बाटनी एवं जुलाजी विषय की पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्तां को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसंचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसंचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसंचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- षिभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एफ्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसंचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसंचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 515

रीवा दिनांक : २३-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
यूनिक कालेज आफ टेक्नोलॉजी
अमरपाटन, जिला रातना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(08) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	एम.ए. पूर्वार्द्ध भूगोल, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-प्रत्येक 60रुपीट।
2.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध वाटनी, कमेस्ट्री-प्रत्येक 50रुपीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों एवं स्वीकृत छात्र संख्या के अनुसार और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या व धर्योगशाला में उपकरणों की संख्या बढ़ायें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतीयेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर पैबसाइट से प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / दिनांक / 2021 / ५१६
प्रति

रीवा दिनांक २३-८-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
जनता महाविद्यालय, जनेह
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अख्यायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्भूत लेख है कि विद्या परिषद की रथायी समिति जी बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(3) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की घारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अख्यायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर, अंग्रेजी, संस्कृत-प्रत्येक 120सीट।
2.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर-प्रत्येक 120सीट।
3.	पी.जी.डी.सी.ए. प्लेन-100सीट।
4.	एम.ए. पूर्वार्द्ध भूगोल-60सीट।
5.	एम.ए. पूर्वार्द्ध समाजशास्त्र-60सीट।
6.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध बाटनी-60सीट।
7.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध जुलाजी-60सीट।
8.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध कमेस्ट्री-60सीट।
9.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध मेथमेटिक्स-60सीट।
10.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध फिजिक्स-60सीट।

नोट –

- प्रत्येक विषय में यू.जी.सी. मापदण्ड के अनुसार कालेज गोड 28 में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- एम.एस.सी. प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण क्रय करें।
- लगभग 500 फर्नीचर की अतिरिक्त व्यवस्था करें।
- पुस्तकालय में नवीन विषयों की पुस्तकें क्रय करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलपति 19.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एट्लीफेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर येत्रसाइट में प्रदर्शन हेतु ग्रेडिंग।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एन.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (दिक्कास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५८७

रीया दिनांक : २३-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

राजीव गांधी कालेज आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड टेक्नालोजी
सतना (म.प्र.)

विषय – अरथायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(05) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अरथायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	एम.ए पूर्वार्द्ध अर्थशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-प्रत्येक कक्षा 35सीट।
2.	बी.ए. दृष्टीय वर्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पादयक्रमों की पुस्तकालय में अतिरिक्त पुस्तकों के क्रय एवं जर्नल्स इत्यादि की संख्या में विस्तार करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलपति १९.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. अनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

२३.८.२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५१८

रीवा, दिनांक २३-७-२०२१

अधिसूचना

अध्यक्ष, शासी निकाय, विन्ध्याचल महाविद्यालय, जिगना, जिला सतना के पत्र क्रमांक / 940 / 2021 जिगना दिनांक 29-6-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-03 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, अशासकीय विन्ध्याचल महाविद्यालय, जिगना, जिला सतना की एम.एस.डब्लू.पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध, एम.ए.पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध इतिहास, अर्थशास्त्र, बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शनशास्त्र, गृहविज्ञान की सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।

कुलसचिव 23.7.21
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष / प्राचार्य, अशासकीय विन्ध्याचल महाविद्यालय, जिगना, जिला सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 519

रीथा दिनांक : 23-7-2021

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

महात्मा गांधी कालेज आफ कामर्स एण्ड साइन्स
नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(4) की अनुशासा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	पी.जी.डी.सी.ए. प्लेन-60+60=120सीट।
2.	एम.ए. प्रीवियस हिन्दी-60सीट।
3.	एम.ए. प्रीवियस पोलिटिकल साइंस-60सीट।
4.	एम.एस.डब्ल्यू. प्रीवियस-100सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में आयेदित पाठ्यक्रम-विषयों की 10–10 प्रति पुस्तकें संधारित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहरताकारकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बंद करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

१३/८१८

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५२०

रीवा दिनांक : २३-८-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
सरकार विधि महाविद्यालय
अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अरथाती सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(09) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अरथाती सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए.एलएल.बी. आनर्स (पांचवर्षीय पाठ्यक्रम)–प्रथम वर्ष – ६०+६०+६०=१८०सीट।

नोट –

- बी.सी.आई. के निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुमोदन के उपरांत ही छात्रों को प्रवेश दे।
- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- कम्प्यूटर सेन्टर तथा लाइब्रेरी को अपडेट करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुका, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- आतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/५२७

रीवा, दिनांक : २५-८-२०२१

अधिसूचना

प्राचार्य, आर्या इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी (AIT), गोपद बनास, सीधी के पत्र क्रमांक/AIT/207 दिनांक 23-6-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक-04 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, आर्या इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी (AIT), गोपद बनास, सीधी की बी.बी.ए., बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।



कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, आर्या इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी (AIT), गोपद बनास, सीधी।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा रांभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भारकर, नवभारत, नवरसदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के संघिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।



सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / १८२।

रीवा दिनांक : २३-७-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

राधाकृष्ण मीराकानदेन्ट शिक्षा महाविद्यालय
रामपुर चौरासी, सतना (म.प्र.)

विषय — अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(2) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है —

क्र.	कक्षा / विषय
1.	पी.जी.डी.सी.ए.-60सीट।
2.	बी.ए. प्रथम वर्ष (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60+60 प्रति समूह।
3.	बी.काम. प्रथम वर्ष (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60+60 प्रति समूह।
4.	एम.एस.डब्लू. पूर्वार्द्ध सोसल वर्क-60सीट।
5.	बी.बी.ए. तृतीय वर्ष-80सीट।
6.	बी.एस.डब्लू. तृतीय वर्ष-80सीट।

नोट —

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य व शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
- पुस्तकालय में विषय की पुस्तकों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताकरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

१९.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन रातपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा।
- अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव — परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव — गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर पेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ८२२

रीवा दिनांक : २५ - ८ - २०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

एन आई सी.टी. महाविद्यालय
विलोजी, जिला सिंगराली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23–07–2021 के आइटम क्रमांक 2(11) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.एससी. तृतीय वर्ष बाटनी, कमेस्ट्री, जुलाजी, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस, गणित, भौतिकी – प्रति समूह 120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- विज्ञान विषय की प्रयोगशालाये एवं पुस्तकालय को और रामृद्ध करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताकरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

“सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५२३

रीवा दिनांक : २५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

मायाराम महाविद्यालय, मेढ़ीली मोरवा
जिला सिंगरानी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(12) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	कक्षा/विषय
1.	पी.जी.डी.सी.ए. प्लेन-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में विषय संबंधित समुचित पुस्तकें व प्रयोगशाला हेतु Latest Configuration के कम्प्यूटर का क्रय करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

23.6.21
कुलसचिव
श्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021/ ५२८

रीवा दिनांक : २५-६-२०२१

प्रति,

आच्यक्ष / प्राचार्य
इन्द्रा समृद्धि महाविद्यालय,
न्यूराम नगर, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-07-2021 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –


क्र.	कक्षा / विषय
1.	एलएलबी, प्रथम वर्ष-60-60 के दो रोकसन, कुल 120सीट।

नोट –

- बी.सी.आई. की अनुमति प्राप्त होने के उपरात ही छात्रों को प्रवेश दे।
- विधि विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- लाइब्रेरियन की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलशिव २३.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूटर एस्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी., आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)